न्यायमूर्ति तेजिंदर सिंह ढींढसा के समक्ष

अर्चना नगर मिश्रा-याचिकाकर्ता

बनाम

एच.पी.एस.सी.और *अन्य-उत्तरदाता*

2011 की सीडब्ल्यूपी संख्या 12574

जुलाई 2, 2013

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 226 - याचिकाकर्ता, सरकारी कॉलेजों (एचईएस -1) के प्रिंसिपल/उप निदेशक के पद पर चयन के लिए एक असफल उम्मीदवार, ने उत्तरदाताओं की कार्रवाई को चुनौती दी थी क्योंकि उसके प्रकाशित कार्यों को ध्यान में नहीं रखा गया था - याचिकाकर्ता एक अंक से कम हो गई थी, और उसका दावा है कि अगर उसे अपने प्रकाशनों का श्रेय मिल गया होता तो उसका चयन किया जाता, उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया - यह निर्णय दिया गया कि यह प्रश्न कि क्या प्रकाशन श्रेण/अंकों के मानक के थे, विशेषज्ञों

पर छोड़ दिया जाना चाहिए - न्यायालय ऐसी जांच में तल्लीन करने के लिए सुसज्जित नहीं हैं- रिट याचिका खारिज कर दी गई।

अभिनिर्धारित किया गया कि स्थापित कानूनी स्थिति को देखते हुए, इस न्यायालय की बहुत सीमित भूमिका होगी, विशेष रूप से जब चयन समिति/बोर्ड के सदस्यों के खिलाफ दुर्भावना का आरोप नहीं लगाया गया हो। सिद्धांत के रूप में, यह न्यायालय विधिवत गठित चयन समिति/बोर्ड के निर्णय पर अपील में बैठने का प्रयास नहीं करेगा। न्यायालय को ऐसे मामलों में अपनी बाधाओं और सीमाओं का एहसास होना चाहिए। हालांकि, याचिकाकर्ता केवल एक अंक से कम हो सकता है, फिर भी, मामले के अवलोकन में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनाया गया है। याचिकाकर्ता की प्रकाशित सामग्री के पर्याप्त उच्च स्तर के होने के संबंध में प्रश्न अर्थात राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की पत्रिकाओं में प्रकाशित होने के कारण संबंधित विशेषज्ञ के निर्णय पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

(पैरा 11)

याचिकाकर्ता के वकील ए.के.

हरीश राठी, Sr. D.A.G, Haryana.

एच.एन. मेहतानी, एच.पी.एस.सी.

आर.एन. लोहान, प्रतिवादी संख्या 3,5,6 और 7 के लिए वकील

तेजिंदर सिंह ढींडसा, न्यायमूर्ति

(1) तत्काल रिट याचिका में चुनौती हरियाणा लोक सेवा आयोग (इसके बाद आयोग के रूप में संदर्भित) द्वारा सरकारी कॉलेजों (एचईएस-I) (ग्रुप ए) के प्रिंसिपल/उप निदेशकों के पद पर नियुक्ति के लिए तैयार की गई चयन सूची को सामान्य श्रेणी के बारे में है, जिसमें आयोग को नए सिरे से चयन सूची तैयार करने का निर्देश देने के लिए परमादेश जैसी रिट जारी करने के लिए एक और प्रार्थना है। प्रश्नाधीन पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार कड़ाई से।

(2) संक्षिप्त तथ्य जिनके लिए ध्यान देने की आवश्यकता होगी कि आयोग ने सरकारी कॉलेजों (एचईएस -1) (समूह ए) के प्रधानाचार्यों/उप निदेशकों के 8 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए दिनांक 6.2.2009 (अनुबंध पी -1) को एक विज्ञापन जारी किया, जिसमें से दो पद अनुसूचित जातियों के लिए और एक पद हरियाणा की पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित थे। आवेदन फार्म जमा करने की अंतिम तारीख 27-2-2009 निर्धारित की गई थी। इस पद के लिए निर्धारित आवश्यक योग्यताएं निम्नलिखित शब्दों में थीं: –

"आवश्यक योग्यता:-

(i) कम से कम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री या 7-पॉइंट स्केल लेटर ग्रेड O, A, B, C, D, E & F में B के समकक्ष ग्रेड

(ii) पीएचडी या समकक्ष प्रकाशित कार्य।

(iii) विश्वविद्यालयों / कॉलेजों और / या उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों में शिक्षण / अनुसंधान के 15 वर्षों का कुल अनुभव।

(iv) मैट्रिक मानक तक हिंदी/संस्कृत का ज्ञान।"

(3) यह दलील दी गई है कि याचिकाकर्ता के पास निर्धारित आवश्यक योग्यताएं थीं और तदनुसार उसने सामान्य श्रेणी के तहत पद के लिए आवेदन किया था। आयोग द्वारा विधिवत गठित बोर्ड द्वारा याचिकाकर्ता का साक्षात्कार लिया गया और परिणाम 10-8-2010 को घोषित किया गया। हालांकि, याचिकाकर्ता का नाम चयनित उम्मीदवारों की सूची में नहीं था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के तहत आयोग द्वारा प्रश्नगत पद पर चयन के लिए अपनाए गए मानदंडों, व्यक्तिगत उपलब्धियों और साक्षात्कार में उम्मीदवारों द्वारा अलग-अलग प्राप्त अंकों के साथ-साथ मेरिट सूची में उसकी स्थिति के साथ-साथ प्राप्त अंकों के बारे में जानकारी मांगी। मांगी गई इस तरह की जानकारी के जवाब में, आयोग ने याचिकाकर्ता को प्रश्नगत पद पर चयन के लिए मौखिक रूप से उम्मीदवारों की सापेक्ष योग्यता का आकलन करने के मानदंडों का खुलासा किया, जो निम्नलिखित शब्दों में था: -

"वाइवा-वॉयस के कुल अंक:	*100 अंक*
1. व्यक्तिगत उपलब्धियां	*40 अंक*
a. शैक्षणिक योग्यता	*25 अंक*
iv) मास्टर डिग्री	
द्वितीय श्रेणी :	*10 अंक*
प्रथम श्रेणी :	*15 अंक*
v) D.Sc/D.Litt या कोई अन्य उच्च प्रासंगिक	
योग्यता:	*05 अंक*

vi) स्नातकोत्तर (विश्वविद्यालय	*में प्रथम स्थान)*	*05 marks*
स्नातकोत्तर (विश्वविद्यालय	*में दूसरा स्थान)*	*03 marks*
स्नातकोत्तर (विश्वविद्यालय	*में तीसरा स्थान)*	*02 marks.*

10 marks

b. अनुभव:

मूल योग्यता प्राप्त करने के बाद संबंधित क्षेत्र में अनुभव के प्रति पूर्ण वर्ष में एक अंक और समापन तिथि तक आवश्यक अनुभव अधिकतम 10 अंकों के अधीन।

c. प्रकाशित कार्य: *05 marks*

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की पत्रिकाओं में उच्च स्तर का प्रकाशित कार्य।

2. साक्षात्कार: *60 marks*

साक्षात्कार मौखिक चर्चा और पूछताछ के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। प्रश्नों और चर्चा को व्यक्तिगत गुणों, ज्ञान, जागरूकता, बुद्धिमत्ता, प्रस्तुति, अभिव्यक्ति, शिष्टता, असर, अभिव्यक्ति और बोलने की क्षमता आदि का पता लगाने के लिए निर्देशित किया जाएगा। निम्नलिखित ब्रेक-अप के साथ साक्षात्कार के लिए 60 अंक दिए गए हैं: –

(i)	*ज्ञान, जागरूकता, दृष्टिकोण और सामान्य रुचि आदि।*	*20 अंक*
(ii)	*बुद्धि, पहल, निर्णय लेने, अभिव्यक्ति, प्रस्तुति आदि।*	*20 अंक*
(iii)	*शिष्टता, असर, व्यवहार, अनुकूलनशीलता, अभिव्यक्ति और अन्य गुण।*	*20 अंक*

(4) इसके अलावा, याचिकाकर्ता को सूचित किया गया कि सामान्य श्रेणी के खिलाफ चुने गए अंतिम उम्मीदवार ने कुल 70 अंक हासिल किए थे, जबकि याचिकाकर्ता ने 69 अंक हासिल किए थे। जहां तक संबंध है, याचिकाकर्ता को सूचित किया गया कि उसने व्यक्तिगत उपलब्धियों के संबंध में कुल 40 अंकों में से 27 अंक हासिल किए हैं और साक्षात्कार के लिए निर्धारित कुल 60 अंकों में से 42 अंक हासिल किए हैं।

(5) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया है कि चयन प्रक्रिया दूषित है क्योंकि आयोग ने खुलासा किए गए मानदंडों के आलोक में सही अंक नहीं दिए हैं और इस तरह सामान्य श्रेणी के बारे में चयन सूची को बनाए नहीं रखा जा सकता है। इस तरह के तर्क को उठाने के लिए, वकील यह तर्क देंगे कि याचिकाकर्ता को प्रकाशित कार्यों के लिए एक भी अंक नहीं दिया गया है, जिसके लिए 5 अंक दिए गए हैं। यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता को कई प्रकाशित कार्यों का श्रेय देना पड़ा जो विभिन्न पत्रिकाओं में उच्च स्तर के थे और इस तरह ऐसे प्रकाशित कार्यों के बारे में शून्य अंक देने का औचित्य साबित करने का कोई आधार नहीं हो सकता है, जिसके लिए अपेक्षित विवरण आवेदन पत्र में ही प्रस्तुत किया गया था और इस तरह की प्रकाशित सामग्री साक्षात्कार के समय अवलोकन के लिए भी उपलब्ध कराई गई थी। इसके अलावा, सुरिंदर पाल सिंह, निजी प्रतिवादी संख्या 5 के संबंध में एक विशिष्ट दावा किया गया है और यह दलील दी गई है कि ऐसे उम्मीदवार ने 15.7.2004 से आवेदन पत्र जमा करने की तारीख तक सहायक निदेशक, कॉलेजों के रूप में काम किया था और इस तरह 15.7.2004 के बाद के उनके अनुभव को प्रकट किए गए मानदंडों के आलोक में नहीं गिना जा सकता था और इसके बावजूद इस तरह के अनुभव के लिए प्रतिवादी नंबर 5 को अंक दिए गए हैं। प्रतिवादी संख्या 6 की उम्मीदवारी के संबंध में एक प्रश्न भी उठाया गया है, जिसमें कहा गया है कि एमए तीसरे और चौथे संयुक्त सेमेस्टर I परीक्षा की मार्कशीट में कई संदिग्ध कटिंग थीं और चयन सूची में उनका नाम शामिल करते समय आयोग द्वारा इस तरह की कटिंग और संदेह का संज्ञान नहीं लिया गया है।

(6) इसके विपरीत, आयोग की ओर से पेश होने वाले विद्वान वकील श्री एचएन मेहतानी ने विधिवत लिखित बयान का उल्लेख किया है और प्रस्तुत करेंगे कि उम्मीदवारों को अंक आयोग द्वारा प्रश्न में पद पर चयन के लिए विकसित मानदंडों के अनुसार सख्ती से दिए गए हैं। यह दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता प्रथम श्रेणी M.Sc होने के नाते मानदंड के अनुसार 15 अंक दिए गए हैं और चूंकि उसने मास्टर डिग्री में स्वर्ण पदक विजेता होने के नाते प्रथम स्थान प्राप्त किया है, इसलिए उसे भी ऐसी उपलब्धि के लिए 5 अंक दिए गए हैं। इसके अलावा, याचिकाकर्ता को अनुभव से संबंधित उपशीर्षक (बी) के तहत अनुभव के लिए 7 अंक भी दिए गए थे। एक और रुख यह लिया गया है कि याचिकाकर्ता के प्रकाशित कार्य उनकी स्थिति के संबंध में विभिन्न अस्पष्टताओं से ग्रस्त हैं अर्थात राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों में प्रकाशित किए गए हैं और तदनुसार, उन्हें इस तरह के प्रकाशित कार्य के लिए कोई अंक नहीं दिया गया था। प्रतिवादी संख्या 5 को अनुभव के लिए अंक देने के संबंध में, यह कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 5 ने 15.7.2004 से सहायक निदेशक, कॉलेजों के रूप में काम किया था जो बुनियादी योग्यता प्राप्त करने के बाद संबंधित क्षेत्र में था और इस तरह 15.7.2004 से आवेदन पत्रों की अंतिम तारीख तक के अनुभव को ध्यान में रखा गया था और उन्हें व्यक्तिगत उपलब्धियों के शीर्ष के तहत अनुभव के लिए 16 अंक दिए गए थे। आयोग ने आगे कहा है कि श्री कमलेश कुमार, प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा प्रस्तुत मार्कशीट को किसी भी तरह से संदिग्ध नहीं माना गया था और तदनुसार, ऐसे उम्मीदवार को योग्य माना गया था और अंततः चयन सूची में जगह पाने के लिए पर्याप्त अंक प्राप्त किए थे।

(7) पक्षकारों के विद्वान वकीलों को विस्तार से सुना गया है और याचिकाकर्ता के मूल आवेदन पत्र को आयोग को प्रस्तुत किए गए बाड़ों के साथ प्रस्तुत किया गया था जो मूल रूप से आयोग के लिए उपस्थित विद्वान वकील द्वारा न्यायालय को सौंप दिया गया था। श्री मेहतानी ने अदालत को आगे अवगत कराया है कि चयनित उम्मीदवारों में से किसी को भी प्रकाशित कार्यों के लिए कोई अंक नहीं दिया गया है।

(8) यह विवाद का विषय नहीं है कि चयनित उम्मीदवारों के पास पद के लिए आवश्यक निर्धारित

योग्यता थी। याचिकाकर्ता ने प्रश्नाधीन पद पर चयन के लिए आयोग द्वारा विधिवत गठित चयन समिति/बोर्ड के गठन के संबंध में कोई प्रश्न नहीं उठाया है। इससे भी आगे, भले ही, याचिका में भाई-भतीजावाद और पक्षपात का एक अस्पष्ट और गंजा दावा किया गया है, लेकिन फिर भी इस न्यायालय के लिए कोई स्पष्ट दलील/कथन या कोई अन्य विचारोत्तेजक सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं रखी गई है, जिससे चयन प्रक्रिया के बारे में निष्कर्ष निकाला जा सके।

(9) यह स्थापित कानूनी स्थिति है कि न्यायालय इस क्षेत्र में प्रतिष्ठित विशेषज्ञों से गठित एक प्रमुख भर्ती एजेंसी की सिफारिशों के प्रति सम्मान और उचित विचार दिखाएंगे। डॉ. एमसी गुप्ता और अन्य बनाम डॉ अरुण कुमार गुप्ता और अन्य, 1979 (2) एससीसी 339 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय राज्य मेडिकल कॉलेजों में मेडिसिन के प्रोफेसरों के दो पदों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किए गए चयन के संबंध में एक विवाद पर विचार कर रहा था। मामले पर विचार करने के बाद न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की थी: -

> *''जब आयोग द्वारा चयन किया जाता है और परिष्कृत क्षेत्र में तकनीकी अनुभव और उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले विशेषज्ञों द्वारा सलाह दी जाती है, तो अनुसंधान की जांच की जाती है। तकनीकी विषयों में अनुभव, अदालतों को विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त की गई राय में हस्तक्षेप करने में धीमा होना चाहिए जब तक कि उनके खिलाफ दुर्भावना के आरोप न हों। आम तौर पर अदालतों के लिए विवेकपूर्ण और सुरक्षित होगा कि वे अकादमिक मामलों के फैसले को उन विशेषज्ञों पर छोड़ दें जो समस्या से अधिक परिचित हैं (वे अदालतों की तुलना में आम तौर पर सामना कर सकते हैं...।''*

(10) दलपत अब्बास सोलुंके और अन्य बनाम डॉ. बी. एस. महाजन और अन्य (1990) 1 एससीसी 305 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की थी: -

> *'' ..... इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि चयन समितियों के निर्णयों पर अपील सुनना और उम्मीदवारों के सापेक्ष गुणों की जांच करना न्यायालय का कार्य नहीं है। कोई उम्मीदवार किसी विशेष पद के लिए उपयुक्त है या नहीं, इसका निर्णय विधिवत गठित चयन समिति द्वारा किया जाना है, जिसे इस विषय पर विशेषज्ञता प्राप्त है। अदालत के पास ऐसी कोई विशेषज्ञता नहीं है। चयन समिति के निर्णय में केवल सीमित आधारों पर हस्तक्षेप किया जा सकता है, जैसे कि समिति के गठन में अवैधता या पेटेंट सामग्री अनियमितता या चयन को दूषित करने वाली इसकी प्रक्रिया, या चयन को प्रभावित करने वाली दुर्भावना को साबित करना। यह विवादित नहीं है कि वर्तमान मामले में, विश्वविद्यालय ने संबंधित कानूनों के अनुपालन में समिति का गठन किया था। समिति में विशेषज्ञ शामिल थे और इसने अपने समक्ष सभी प्रासंगिक सामग्री का अध्ययन करने के बाद उम्मीदवारों का चयन किया। इस प्रकार किए गए चयन पर अपील में बैठने और अदालत द्वारा मूल्यांकन किए गए उम्मीदवारों की तथाकथित तुलनात्मक योग्यता के आधार पर इसे रद्द करने में, उच्च न्यायालय गलत हो गया और अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर गया।''*

(11) स्थापित कानूनी स्थिति को देखते हुए, इस न्यायालय की बहुत सीमित भूमिका होगी, खासकर जब चयन समिति/बोर्ड के सदस्यों के खिलाफ किसी दुर्भावना का आरोप नहीं लगाया गया हो। सिद्धांत के रूप में, यह न्यायालय विधिवत गठित चयन समिति/बोर्ड के निर्णय पर अपील में बैठने का प्रयास नहीं करेगा। न्यायालय को ऐसे मामलों में अपनी बाधाओं और सीमाओं का एहसास होना चाहिए, हालांकि, याचिकाकर्ता केवल एक अंक से कम हो

सकता है, फिर भी, मामले के अवलोकन में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनाया गया है। याचिकाकर्ता की प्रकाशित सामग्री के पर्याप्त उच्च स्तर के होने के संबंध में प्रश्न अर्थात राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की पत्रिकाओं में प्रकाशित होने के कारण संबंधित विशेषज्ञ के निर्णय पर छोड़ दिया जाना चाहिए। इस न्यायालय में इस तरह के मामले में विशेषज्ञता और क्षमता की कमी होगी। जहां तक व्यक्तिगत उपलब्धियों के शीर्ष के तहत शैक्षिक योग्यता के लिए अन्य अंक देने का संबंध है, आयोग द्वारा उठाए गए तथ्यात्मक रुख का खंडन नहीं किया गया है।

(12) ऊपर दर्ज किए गए कारणों के लिए, मुझे वर्तमान रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं मिलती है और तदनुसार, इसे खारिज कर दिया जाता है।

(13) याचिका खारिज।

पी.एस. कजवा

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय, वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके, और किसी अन्य उद्देश्य के लिया इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

रवि अमितोज़
प्रशिक्षु न्यायिक
अधिकारी